आबकारी विभाग

भाग–एक

सामान्य जानकारी :

प्रदेश के लिये राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग का प्रमुख स्थान है। आबकारी मद के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली आय, विभिन्न मादक पदार्थो/द्रव्यों के उत्पादन, थोक विक्रय, फुटकर विक्रय परिवहन, आयात, निर्यात आदि से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधिन बनाये गये नियमों के अर्न्तगत निर्धारित लाईसेंस फीस, ड्यूटी, आयात/निर्यात/परिवहन फीस आदि से प्राप्त होती है। इस आय का अधिकांश भाग देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, भांग एवं ताड़ी तथा पॉपिस्ट्रा थोक व फूटकर लाईसेंसों की व्यवस्था, जिसमें देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को आवेदन प्रणाली में आबंटन का प्रावधान तथा भांग, ताड़ी पॉपिस्ट्रा के लाईसेंसों का नीलाम द्वारा प्राप्त किया जाता है।

प्रदेश में कुल 95 आबकारी वृत्त है, प्रदेश में देशी मदिरा के कुल 30 मद्य भंडागार है। जिनमें से 15 मद्य भाण्डागारों का सेमी ऑटोमेटिक बॉटलिंग प्लाण्ट की स्थापना है ।

1. **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों में प्रमुख अधिनियम है, इस अधिनियम में न केवल राज्य शासन को प्राप्त होने वाले आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में प्रावधान है, बल्कि आबकारी अपराधों की रोकथाम के लिए प्रकरण कायम कर अभियोजन एवं विभागीय लायसेंसियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के लिए दण्ड देने आदि के सम्बन्ध में भी प्रावधान हैं। इस प्रकार इस अधिनियम में राजस्व उद्ग्रहण एवं अपराध नियंत्रण दोनो की व्यवस्थाएं है।

2. **छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936** के प्रावधान के अन्तर्गत विभाग मनोरंजन शुल्क/विज्ञापन कर का उद्ग्रहण करता है, इस अधिनियम में मनोरंजन शुल्क/विज्ञापन कर के अपवंचन एवं अनियमितताओं के लिए दण्ड आदि की भी व्यवस्था है।

3. **तम्बाकू अधिनियम, 1939** अविभाजित मध्यप्रदेश के समय केवल महाकौशल क्षेत्र में ही लागू रहा फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पर प्रदेश के समस्त जिलों में प्रभावशील है। इस अधिनियम के अन्तर्गत यह विभाग तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों से बनी वस्तुओं के व्यापार के लिए लायसेंस देता है और निर्धारित दर शुल्क वसूल करता है।

4. **नारकोटिक्स ड्रग्स एवं सायकोट्रॉफिक सब्सटेंसेज एक्ट, 1985** के अन्तर्गत विभाग द्वारा चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए पॉपीस्ट्रा के उपयोग हेतु पी.एस. 7 में उपभोक्ताओं को अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु केन्द्र सरकार के अधिकारियों को साथ–साथ आबकारी विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सशक्त किया गया है।

विभागीय संरचना :

यह विभाग छत्तीसगढ़ शासन के वित्त तथा योजना (वाणिज्यिक कर) विभाग के अंतर्गत है। आबकारी विभाग का मुख्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार अप्रैल, 2002 से संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय रायपुर एवं बिलासपुर को समाप्त करते हुए, आयुक्त, आबकारी के नियंत्रणाधीन राज्य स्तरीय उड़नदस्ता में विलय करते हुए गठन किया गया है। इस प्रकार संभागीय उड़नदस्ता कार्यालयों के विलय के पश्चात् विभाग का प्रशासकीय ढांचा निम्नानुसार है :

(अ) मुख्यालय स्तर :

- छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी आयुक्त (विभागाध्यक्ष) पद पर पृथक से पदस्थापना नहीं है। सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया हैं।

- आबकारी आयुक्त कार्यालय पृथक से किराये के भवन में संचालित है, जिसके लिए 2 अपर आयुक्त, 6 उपायुक्त, 3 सहायक आयुक्त, 5 जिला आबकारी अधिकारी, 3 सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं अन्य स्टाफ के पद विभागीय तथा एक सांख्यिकी अधिकारी, एक संयुक्त संचालक (लेखा), दो सहायक अंकक्षेण/लेखा अधिकारी के पद प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत है। वर्तमान में एक अपर आयुक्त आबकारी को नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड में महाप्रबंधक एवं एक उपायुक्त को प्रबंधक, समन्वय के पद पर तथा एक उपायुक्त को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता में अपर आयुक्त आबकारी के अधीन पदस्थ किया गया है।

(ब) जिला स्तर :

- जिला स्तर पर आबकारी प्रशासन के प्रमुख कलेक्टर हैं। विभागीय संरचना के तहत कार्यालय प्रमुख के तौर पर सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी पदस्थ किए गए हैं। अधिक राजस्व वाले सात बड़े जिले क्रमशः रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर तथा रायगढ़ के लिए सहायक आयुक्त आबकारी का पद स्वीकृत है, किन्तु वर्तमान में रायपुर, राजनांदगांव, कोरबा में सहायक आयुक्त, आबकारी तथा शेष जिलों में जिला आबकारी अधिकारी पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश की आसवनियों/बॉटलिंग इकाईयों में भी आबकारी अधिकारी व अन्य स्टॉफ के पद स्वीकृत हैं। जिलों में सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी की सहायता हेतु जिला कार्यालयों में आवश्यकतानुसार अन्य कार्यपालिक एवं लिपिकीय स्टॉफ पदस्थ हैं।

विभाग की संगठनात्मक संरचना संक्षेप में निम्न तालिका में दर्शायी गयी है, इस तालिका में स्वीकृत एवं कार्यरत् पदों की संख्या दर्शायी गई है :

क्रमांक	पद	स्वीकृत पदों की संख्या	दिनांक 31.08.2004 को कार्यरत पदों की संख्या
(अ)	**प्रथम श्रेणी**		
1.	आबकारी आयुक्त	01	01
2.	अपर आयुक्त आबकारी	02	01
3.	उपायुक्त आबकारी	06	04
4.	सहायक आयुक्त आबकारी	10	04
5.	संयुक्त संचालक (वित्त)प्रति.नि.	01	01
(ब)	**द्वितीय श्रेणी**		
1.	सांख्यिकी अधिकारी प्रति.नि.	01	——
2.	जिला आबकारी अधिकारी	19	19
3.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	——
4.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	49	49
(स)	**तृतीय श्रेणी**		
1.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	01	——
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	01	01
3.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	02	01
4.	सहायक.अंकेक्षण अधिकारी/लेखाधिकारी प्रति.नि.	02	2
5.	आबकारी उप निरीक्षक	178	115
6.	सूचना सहायक	01	...
7.	मुख्य आरक्षक	71	61
8.	आरक्षक	311	282
(द)	**लिपिक वर्गीय एवं अन्य**		
1	अधीक्षक	01	–
2	सहायक अधीक्षक	02	–
3	मुख्य लिपिक	13	08
4	लेखापाल	21	14
5	सहायक ग्रेड–2	24	20
6	सहायक ग्रेड–3	83	67
7	स्टेनो टायपिस्ट	09	01
8	वाहन चालक	19	18
(द)	**चतुर्थ श्रेणी**		
1	दफ्तरी	07	06
2	भृत्य	123	96
3	चौकीदार	20	06
4	फर्राश	02	02
	योग	**982**	**779**

भाग–2

विभाग का आय बजट वर्ष 2004

क्रमांक	मद	निर्धारित बजट लक्ष्य वर्ष 2004–05	अप्रैल, 2004 से जून 2004 तक वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	बजट लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धता
1	आबकारी 0039	5,00,00,40,000	1,40,57,89,749	71.88 %
2.	मनोरंजन कर एवं अन्य 0045	11,36,00,000	94,46,945	91.68 %
योग		**5,11,36,40,000**	**1,41,52,36,694**	**72.32 %**

भाग–3

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

इस विभाग के द्वारा विकास योजनाएं नहीं चलाई जाती है।

भाग–4

अन्य प्रशासनिक मुद्दे

1. **आबकारी नीति :**

नवगठित इस राज्य में वित्तीय वर्ष 2000–01 में देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिये नीलाम–समायोजन प्रणाली लागू थी। प्रदेश के 5 जिलों क्रमाश रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी व महासमुंद में वर्ष 2001–02 के लिये देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का उक्त प्रणाली में नीलाम नहीं होने के कारण उन दुकानों की व्यवस्था के लिये आवेदन प्रणाली में व्यवस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित करते हुये पांचो जिलों की दुकानों की व्यवस्था की गई थी। उक्त वर्ष में चूंकी यह प्रणाली केवल 5 जिलों में ही लागू हुई थी, अतः उसके सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुये थे। वर्ष 2002–03 से संपूर्ण प्रदेश में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिये आवेदन प्रणाली ही लागू की गई एवं उसके लिय छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापना नियम, 2002 बनाये गये तथा उन नियमों, शासन निर्देशों एवं वर्ष 2003–04 की आबकारी नीति के तहत मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापना किया गया। इस प्रणाली की उपयोगिता सार्थक प्रतीत हुई। अतः वर्ष 2004–05 में भी प्रदेश में यही प्रणाली लागू की गई है।

आदिवासी मंत्रणा परिषद ने बैठक दिनांक 20.12.2000 में यह अनुशंसा की गई थी कि, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा विनिर्मित देशी मदिरा के अधिपत्य की सीमा जो प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर, प्रति परिवार 15 लीटर और सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों पर 45 लीटर है, को कम किया जाकर किसी भी समय 5 लीटर प्रति परिवार रखा जावे। राज्य शासन द्वारा आदिवासी मंत्रणा परिषद की अनुशंसा के अनुरूप अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आधिपत्य की सीमा प्रति परिवार किसी भी समय 5 लीटर रखने का निर्णय लिया गया है, जो दिनांक 1.4.2001 से प्रभावशील है।

छबिगृहों एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन में दर्शको के प्रवेश हेतु लिये जाने वाले भुगतान पर, निर्धारित दर से मनोरंजन शुल्क प्राप्त किया जाता है। पूर्व में प्रवेश के लिये मनोरंजन शुल्क की दर 75 प्रतिशत की दर निर्धारित थी। प्रदेश के सिनेमा उद्योग को पुर्नजीवित करने के लिये वर्ष 2003–04 में निम्नानुसार राहत की गईः–

1. दिनांक 01.05.2003 से मनोरंजन शुलक की दर को 75 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया गया है। अधिसूचना क्रमांक (25 अप्रैल 2003 से 1 मई 2003 प्रभावशील)
2. 25000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामो/स्थानों में स्थित छबिगुहों को मनोरंजन शुलक से मुक्त किया गया है। अधिसूचना क्रमांक (25 अप्रैल 2003 से 1 मई 2003 प्रभावशील)
3. छत्तीसगढ़ बोली में निर्मित फिल्मों के प्रदर्शन को भी मनोरंजन शुल्क से मुक्त किया गया है। (अधिसूचना दिनांक 21.4.03)
4. मल्टीपलेक्स सिनेमागृहों को 8 वर्षो तक मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना क्रमांक (30.8.2003)

प्रदेश में तंबाखू और तंबाखू से बनी वस्तुओं के व्यापार पर व्यवसायियों से तंबाखू जमा कराया जाकर उन्हे विज्ञप्तियों जारी की जाती है। तंबाखू लायसेंस कं लिये अवधि प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक रहती है।

2. राज्य में स्थित आसवनी ईकाईयांः–

क्र	ईकाई का प्रकार	लायसेंस का प्रकार	ईकाई का नाम
1.	स्प्रिट निर्माण के लिये	डी–1	मेसर्स केडिया केसल डिलोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कुम्हारी जिला –दुर्ग
	विदेशी मदिरा निर्माण/भरपाई के लिये	एफ. एल.9	
2.	स्प्रिट निर्माण के लिये	डी–1	मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रायवेट लिमिटेड, छेरकाबांधा, जिला–बिलासपुर
	विदेशी मदिरा निर्माण/भरपाई के लिये	एफ. एल.9	
3.	विदेशी मदिरा निर्माण/भरपाई के लिये	एफ. एल. 9/9क	मेसर्स कान्टिनेन्टल डिस्टिलरीज लिमिटेड, सिलतरा, जिला –रायपुर
4.	विदेशी मदिरा निर्माण/भरपाई के लिये	एफ. एल.9/9क	मेसर्स जांन डिस्टिलरीज लिमिटेड, सिलतरा, जिला –रायपुर
5.	विदेशी मदिरा निर्माण/भरपाई के लिये	एफ. एल.9	मेसर्स रायपुर बाटलिंग कंपनी, बहनाकाडी, जिला –रायपुर
6.	विदेशी मदिरा निर्माण/भरपाई के लिये	एफ. एल.9	मेसर्स गोल्डन प्रिंस वाईन्स इंण्डिया प्रा.लि. सिरकगट्टी जिला–बिलासपुर
7.	विदेशी मदिरा निर्माण/भरपाई के लिये	एफ. एल. 9/9क	मेसर्स ऐजिस बेवरेज प्रा.लि. सिरगिट्टी, जिला–बिलासपुर

प्रदेश में वर्तमान 3 आसवनियाँ स्थित है, जिनमे से दो इकाईयाँ शोषित प्रासव/ई.एन.ए. का उत्पादन कर रही है, और एक आसवनी बंद है, राज्य की आसवनियों द्वारा निर्मित अल्कोहल के सम्बन्ध में राज्य आत्म निर्भर होने के साथ–साथ अन्य राज्यों को भी इसका निर्यात करता है। एफ.एल.9 के 3 अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा एफ.एल.9क अनुज्ञप्तियां प्राप्त की गई हैं, जिसके अन्तर्गत फ्रेंचाईजी व्यवस्था के अधीन अन्य विनिर्माता कम्पनियों के भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पाद भी इस राज्य में किया जा रहा है।

भाग–5

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

इस विभाग के द्वारा विकास योजनाएं नहीं चलाई जाती है।

भाग–6

विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी जानकारी

- **विभागीय आय :**

(आय करोड़ रुपये में)

क्र.	मद	वर्ष					
		1999–00	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05 माह जून तक की स्थिति
1.	आबकारी	304.16	324.87	321.11	362.79	403.58	140.58
2.	मनोरंजन कर	6.51	6.39	6.32	6.10	3.70	0.93
3.	विज्ञापन कर	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.004
4.	तम्बाकू कर	0.27	0.31	0.32	0.35	0.41	0.009
योग		**310.96**	**331.58**	**327.77**	**369.26**	**407.71**	**141.523**

विभागीय व्यय :

(व्यय करोड़ रुपये में)

क्र.	मद	वर्षवार					
		1999—00	2000—01	2001—02	2002—03	2003—04	2004—05 माह जून तक की स्थिति
1.	स्थापना	6.23	6.18	6.38	9.62	9.99	2.331
2.	स्प्रिट का क्रय	9.21	8.62	15.56	9.72	6.81	1.212
3.	भांग का क्रय	--	--	--	--	0.01	0.007
4.	विभागीय दुकानों की रखरखाव पर व्यय	10.30	0.60	0.56	3.52	2.08	0.387
5.	अन्य		6.29	7.11	--	--	--
	योग	25.74	21.69	29.61	22.86	18.89	3.937
कुल आय से व्यय का प्रतिशत			--	6.5%	9%	4.63%	2.78 %
स्थापना के व्यय का प्रतिशत		2.0%	1.9%	1.9%	2.6%	2.45%	1.65 %

आबकारी अपराधों से संबंधित उपलंभन के आंकड़े :

क्र.	विवरण	वर्षवार					
		1999—00	2000—01	2001—02	2002—03	2003—04	2004—05 माह जून तक की स्थिति
1.	देशी मदिरा का अवैध आसवन व अवैध आधिपत्य तथा विक्रय	10089	12255	9413	7065	10931	1210
2.	विदेशी मदिरा का चौर्यनयन अवैध आधिपत्य	266	2576	1647	1360	1726	206
3.	गांजा भांग का अवैध विक्रय	42	32	16	11	40	2
4.	अफीम का अवैध अधिपत्य			.		..	..
5.	मनोरंजन कर अपवंचन	97	336	523	58	1214	34
6.	तम्बाकू कर संबंधित अपराध	4997	5346	5228	8694	4868	771
7.	अन्य अपराध	8332	5012	880	69	121	1
योग		**23823**	**25557**	**17707**	**17257**	**18900**	**2224**

- **मादक पदार्थो की दुकानों की संख्या :**

क्र.	मद	वर्षवार					
		1999–00	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1.	देशी मदिरा	463	463	567	565	585	602
2.	विदेशी मदिरा (एफ.एल.1)	108	100	189	188	198	208
3.	एफ.एल.2	--	--	--	--	08	07
4.	एफ.एल.3	--	--	--	--	88	96
5.	एफ.एल.7	--	--	--	--	1	1
6.	एफ.एल.8	--	--	--	--	1	1
7.	ताड़ी	2	2	2	2	2	3
8.	भांग	15	14	13	9	5	5
शासन द्वारा संचालित							
1.	देशी मदिरा	77	77	145	--	--	--
2.	विदेशी मदिरा	66	66	55	--	--	--

भाग – 7

आबकारी विभाग के अन्तर्गत विदेशी मदिरा के थोक व्यवसाय के लिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को विदेशी मदिरा का थोक विक्रय करने के लिए रायपुर एवं बिलासपुर में एफ.एल.10 की दो लायसेंस जारी किये गये हैं।

सारांश :

प्रदेश के विकास एवं जन–कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग प्रमुख स्थान है, वाणिज्यिक कर के उपरान्त आबकारी राजस्व की प्राप्तियां सर्वाधिक है। इस विभाग को आबकारी, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर तथा तम्बाकू शुल्क से आय प्राप्त होती है। आबकारी आय मादक पदार्थो के उत्पादन, थोक विक्रय, फुटकर विक्रय, परिवहन आदि पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार आबकारी शुल्क, लायसेंस फीस आदि के रूप में प्राप्त होती है।

मनोरंजन कर आय शासन को छबिगृहों, वीडियो एवं केबल टी.वी. ऑपरेटर से प्राप्त होती है। इसी प्रकार छविगृहों में विज्ञापन के लिए दिखाए जाने वाले स्लाईड्स, शॉर्ट्स आदि से विज्ञापन शुल्क राज्य शासन को प्राप्त होता है। तम्बाखू और इससे बनी हुई बस्तुओं के व्यापार पर तम्बाखू शुल्क के अन्तर्गत लायसेंस फीस से आय प्राप्त होती है।

उपायुक्त आबकारी

छत्तीसगढ़, रायपुर